अति–आवश्यक / स्मरण पत्र / मेल द्वारा

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / एएनएम / एम–133 / 2024 / 59 दिनांक : 10/2/25

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर / बांसवाडा / बाडमेर / बीकानेर /
रतनगढ / डूंगरपुर / जयपुर–प्रथम /
जैसलमेर / झुन्झुनू / सिरोही / उदयपुर /
स.माधोपुर / हनुमानगढ / बारां /
राजसमन्द / भीलवाडा / प्रतापगढ / केकडी (राज0)।

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण सत्र 2024–25 हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना भिजवाने बाबत् निर्देश।

प्रसंग : निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक : प्रशि. / एएनएम / एम–133 / 2024 / 367 दिनांक : 16.12.2024 एवं पूर्व पत्र क्रमांक : प्रशि. / एएनएम / एम–133 / 2024 / 21दिनांक : 21.01.2025 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय के सन्दर्भित पत्रों द्वारा आपको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण सत्र 2024–25 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की कम्प्युटराईज्ड श्रेणीवार मेरिट सूचियां भिजवाये गये प्रपत्र में तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) से प्रमाणित करवाकर इस निदेशालय में संबंधित लिपिक के साथ गोपनीय / सील बन्द कर लिफाफे में मय हार्ड व सॉफ्ट कॉफी (सीडी) / पैन ड्राईव में दिनांक 27.01.2025 तक निदेशालय को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु सूचना आज दिनांक तक अपेक्षित है।

उक्त सूचना आप द्वारा निदेशालय को नही भिजवायी गयी है, जिस कारण उक्त प्रशिक्षण की काउंसलिंग हेतु तिथि निर्धारण में विलम्ब हो रहा है। अतः उक्त चाही गयी सूचना किन कारणों से आज दिनांक तक अपेक्षित है का प्रतिउत्तर दिनांक 12.02.2025 तक निदेशालय को भिजवाये जाने की कार्यवाही करे, अगर इसके पश्चात भी उक्त पत्र का प्रतिउत्तर निदेशालय को प्राप्त नही होता है तो आपके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिख दिया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय

क्रमांक : प्रशि. / एएनएम / एम–133 / 2024 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024–25 में अपलोड करने का श्रम करे।
3. आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय